<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.—123 / 17</u> संस्थित दिनांक— 21.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरूद्ध

राकेश कोली पुत्र तुलसीराम कोली उम्र 40 साल निवासी ग्राम प्राणपुर जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :--

<u>(आज दिनांक 10.07.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा—504, 323, 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक—03.03.2017 को रात 00:30 बजे से 00:40 बजे फरियादी बंसती बाई के घर में फरियादी बसंती बाई व पुष्पेंद्र को इस आशय से अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोकशान्ति भंग करे अथवा फरियादी बसंती बाई के साथ लाठी से मारपीट कर एवं दांतों से काट उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है किदिनांक—03.03.2017 को रात 00:30 बजे से 00:40 बजे फरियादी बंसती बाई के घर में अभियुक्त राकेश सोनी शराब पीकर आया और फरियादी के लड़के पुष्पेंद्र से कहने लगा कि बाहर जाकर सो जो लड़के ने बाहर सोने से मना किया सोई इसी बात पर से अभियुक्त द्वारा फरियादिया से गाली गलौच करने लगा । फरियादिया मना किया तो अभियुक्त एक डंडा की मारी जो फरियादिया के पुट्टे में लगी जिससे मूंदी चोट आयी मोके पर अल्लू था जिसने घटना देखी। फरियादिया बसंती बाई ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक—103/2017 अंतर्गत धारा—323, 504 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई फरियादियां का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादियां बसंती बाई को दांतों से उपहित पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध कमांक 134/17 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा—324, 323, 504 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—10.07.2017 को फरियादी बंसती बाई ने स्वयं व अपने नाबलिग पुत्र पुष्पेंद्र की ओर से अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत

धारा 320 (2) 320 (8) एवं 320 (4) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए उक्त राजीनामें के आधार पर अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा—504, 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निदोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक—03.03.2017 को रात 00:30 बजे से 00:40 बजे फरियादी बंसती बाई के घर में फरियादी बसंती बाई को दांतों से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06— प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य की देखते हुये। अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी बसन्ती बाई (अ०सा० 1) सिहत घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के रूप में पुष्पेंद्र (अ०सा० 2) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी बसंती बाई (अ०सा० 1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है अभियुक्त उसका पित है। फरियादिया के अनुसार इसी वर्ष के तीसरे माह में रात्रि के समय उसके पित की उसके लडके पुष्पेंद्र (अ०सा० 2) से कहा सुनी हो गयी थी जिस पर पुष्पेंद्र (अ०सा० 2) ने पुलिस को फोन कर दिया था। फरियादिया के अनुसार उसके पित ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही उसने थाने पर पित की कोई रिपोर्ट की थी। फरियादिया का कहना है कि पुलिस घटना वाले दिन घर पर आयी थी और उसके प्र0पी० 1 व 2 पर हस्ताक्षर करा लिये थे।
- 07— फरियादिया बसन्ती बाई (अ०सा० 1) के अनुसार अभियुक्त से उसका कोई विवाद नही हुआ न ही अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट की और न ही उसने अभियक्त की पुलिस में कोई रिपार्ट की थी, बल्कि बसन्ती बाई (अ०सा० 1) का कहना है कि उसके पुत्र से उसके पित का विवाद हो गया था तथा पुत्र ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया था। बसन्ती बाई (अ०सा० 1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना के विपरीत है जिससे इस साक्षी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 से भी नहीं होती है।
- 08— फरियादिया बसन्ती बाई (अ०सा० 1) के न्यायालय में दिये गये कथनों में के विपरीत स्वयं उसके पुत्र पुष्पेंद्र (अ०सा० 2) का यह कहना है कि दिनांक 03.03.17 को रात्रि के समय उसके पिता व

मां में कहा सुनी हो गयी थी जिसके बाद उसने 100 नंबर पर फोन किया था तो मोके पर दिवानजी आ गये थे और लिखापढी की थी। अतः पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) अभियोजन घटना के समर्थन में यह कथन अवश्य देता है कि घटना दिनांक रात्रि को उसके पिता और मां में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने पुलिस को फोन करके बुलाया था, परन्तु उस झगड़े में अभियुक्त ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी, या दांतों से उसे काट लिया था, इस संबंध में इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

- 09— फरियादिया बसन्ती बाई (अ०सा० 1) व पुष्पेंद्र (अ०सा० 2) के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में कथन न देने के कारण इन दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी कर अभियोजन द्वारा उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु अभियोजन द्वारा किये गये परीक्षण में भी इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया कि घटना दिनांक की रात्रि को अभियुक्त ने फरियादिया बसन्ती बाई (अ०सा० 1) के साथ मारपीट की थी तथा उसे दातों से काट कर उपहति कारित की।
- 10— पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) जहां अपने परीक्षण में अपने माता पिता का विवाद होना स्वीकार तो करता है परन्तु इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि उसके पिता ने उसके मां के साथ मारपीट की थी या दांतों से काटा था तथा इस संबंध में यह साक्षी पुलिस को भी कोई कथन न देना बताता है। वही दूसरी ओर घटना में मुख्य आहत एवं फरियादिया बसन्ती बाई (अ0सा0 1) अभियुक्त का स्वयं से कोई विवाद ही न होना बताती है तथा विवाद पित और पुत्र में होना बताती है। यह साक्षी दांतों की चोट अपने कथनों में पूर्व की होना बताती है। फरियादिया बसती बाई (अ0सा0 1) इस बात का स्पष्ट खण्डन करती है कि उसके पित ने उसे दांतों से काट कर या उसके साथ मारपीट कर उसे उपहित्त कारित की थी।
- 11— अतः बसन्ती बाई (अ०सा० 1) व पुष्पेंद्र (अ०सा० 2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों में इस संबंध में ही विरोराभाष की स्थिति है कि वास्तव में अभियुक्त का विवाद बसन्ती बाइ (अ०सा० 1) से हुआ था या पुष्पेंद्र (अ०सा० 2) से हुआ था। दोनों ही साक्षी इस संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नही करते हैं कि अभियुक्त ने बसन्ती बाइ (अ०सा० 1) के साथ मारपीट की थी या दांतों से काट कर बसन्ती बाई (अ०सा० 1) को उपहित कारित की थी। बसंती बाई (अ०सा० 1) स्वयं भी अभियोजन घटना घटित होने से इन्कार करती है तथा प्र०पी० 1 की रिपोर्ट एवं पुलिस को प्र०पी० 3 के कोई भी कथन लेख कराने से भी इन्कार करती है तथा फरियादियां चिकित्सीय परीक्षण में पायी गयी दांतों की चोट पूर्व की होना बताती है, जिससे स्पष्ट है कि फरियादिया के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में दांतों के काटने की चोट जो उसके शरीर पायी गयी थी वो घटना में न तो कारित हुयी थी और न ही उक्त चोट अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी थी।
- 12— फरियादी बसन्ती बाई (अ0सा0 1) व उसके लडके पुष्पेद्रं (अ0सा0 2) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन न देने से अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी बसन्ती बाई (अ0सा0 1) के साथ कोई विवाद किया तथा उक्त विवाद में फरियादी को दांतों से काट कर अथवा डंडें से मारपीट कर उपहति कारित की। फलस्वरूप अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के

आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने दिनांक— 03.03.2017 को रात 00:30 बजे से 00:40 बजे फरियादी बसन्ती बाई के घर में फरियादी बसंती बाई को दांतों से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

- 13— फलस्वरूप अभियुक्त राकेश कोली पुत्र तुलसीराम कोली के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त राकेश कोली पुत्र तुलसीराम कोली को भा०दं०वि० की धारा—324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— <u>अभियुक्त राकेश कोली पुत्र तुलसीराम कोली</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)